रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-321/2026/3460/22-2-2023-17(1407)/2023

लखनऊ: दिनांक: 02 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती रामबेटी (बन्दी संख्या-112/20) पत्नी श्री रामेश्वर दयाल, निवासी-खिदरपुर, थाना-कुर्रा, जनपद-मैनपुरी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-148/2017 में भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के दण्डादेश दिनांक 20.11.2020 द्वारा आजीवन कारावास के सजा से दडिण्त किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.05.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष, 01 माह, 07 दिन तथा 06 वर्ष, 08 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, अच्छा जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-321/2026/3460(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
3- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, मैनपुरी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।